क्रम-संख्या–158

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 01 मई, 2008

बैशाख 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 698/79–वि–1-08–1(क)-62-2007

लखनऊ, 01 मई, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर (संशोधन) करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 मई, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, खण्ड (ङ) में निम्नलिखित उपबंध अंत में बढ़ा दिये जाएंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जाएंगे, अर्थात:-

"किन्तु इनमें ऐसे भू-गृहादि सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और जो निम्नलिखित द्वारा अध्यासित है :-

(क) उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई व्यक्ति;

(ख) कोई संसद सदस्य, उत्तर प्रदेश के विधान सभा या विधान परिषद् का कोई सदस्य;

(ग) कोई गैर-सरकारी संगठन, चाहे निगमित या पंजीकृत हो या नहीं हो;

(घ) राजनैतिक दल, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो;

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास या व्यवसाय संघ, अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई व्यवसाय संघ या कोई कर्मचारी संघ या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो;

(च) किसी राजनैतिक दल की कोई इकाई या अग्रणी या अन्य संगठन, चाहे मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो;

(छ) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक न हो, या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, का कोई पदधारक या प्रतिनिधि होने के कारण जिसे सार्वजनिक भू-गृहादि आवंटित किया गया हो।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार का राज्य सम्पत्ति विभाग ऐसे कतिपय सार्वजनिक भू-गृहादि का प्रबंधक है जो विभिन्न वर्गों के अपात्र व्यक्तियों के अधिभोग में हैं। उक्त भू-गृहादि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और राज्य सरकार की राय है कि सार्वजनिक भू-गृहादि की अत्यंत कमी की दृष्टि से उक्त सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही है।

चूंकि अनेक वर्गों के पात्र व्यक्तियों और संगठनों को समुचित वास सुविधा एवं कार्यालय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की बाध्यता है और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अधीन विहित बेदखली की प्रक्रिया कठिन और दीर्घकारी है तथा कतिपय प्रकार के भवनों/अध्यासियों के लिए उपयुक्त नहीं है, अतएव राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह ऐसी सार्वजनिक भू-गृहादि जो अधिभोग हेतु अपात्र व्यक्तियों/संगठनों द्वारा अध्यासित हैं, को उक्त बाध्यता की पूर्ति के लिए खाली कराये।

2-उपर्युक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972) के कार्यक्षेत्र से ऐसे सार्वजनिक भू-गृहादि को अपवर्जित किया जाय जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और जो अशासकीय, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, राजनैतिक दलों आदि के अधिभोग में हैं, और अनधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, अशासकीय व्यक्तियों, राजनैतिक दलों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो पात्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं, को आवंटित आवासीय भू-गृहादि की अपवर्जन की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
पी0 बी0 कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 698(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)62-2007
Dated Lucknow, May 01, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Bhoo-grihadi (Apradhikrit Adhyasiyon Ki Bedakhali) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2008) promulgated by the Governor :—

THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 15 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) (Amendment) Act, 2007.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1972.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 22 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972, in clause (e) the following provisions shall be *inserted* at the end and be deemed to have always been *inserted*, namely :–

"but does not include, the Public Premises which are under the Administrative control of the Estate Department and which are occupied by,–

(a) a Minister of the Government of Uttar Pradesh or a person given rank of a minister;

(b) a Member of Parliament, a Member of Legislative Assembly or the Legislative Council of Uttar Pradesh;

(c) a non-Government organization, whether incorporated or registered or not,

(d) a political party not recognized by the Election Commission of India;

(e) a society registered under the Societies Registration Act, 1860, a trust registered under the Indian Trusts Act, 1888 or any Trade Union registered under the Trade Unions Act or any employees', association or any body of persons, whether incorporated or not;

(f) any outfit or frontal or other organization of a Political Party, whether recognized or not.

(g) any person who is not government servant, or who is allotted the Public Premises by virtue of his being office bearer or representative of a Society, Trust or any body of persons, whether incorporated or not."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Estate Department of the State Government is the manager of certain public premises, which are under occupation of various classes of ineligible persons. The said premises are needed for public purpose and the State Government is of the opinion that in view of the acute shortage of public premises, the said public purpose is not being fulfilled.

Since the State Government is under an obligation to provide suitable accommodation and offices to several classes of eligible persons and organization and the procedure for eviction prescribed under the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972 is cumbersome and time consuming and is not appropriate for centain classes of building/occupants, it has become necessary for State Government to get such public premises as are occupied by the persons/organisations not eligible for such occupation be vacated to fulfill the said obligation.

2. Keeping in view of the above problem it has been considered expedient to exclude such Public Premises as are under the administrative control of the Estate Department and which are in occupation of non-official, non-governmental organisations, trusts, political parties etc., from the purview of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1972 (U.P. Act No. XXII of 1972) and to take necessary action to evict unauthorised occupants. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for the exclusion of the residential premises allotted to Ministers, Members of Parliament, Legislatures, non-governmental organisation, trusts, non-officials, political parties and such other persons who do not come in the field of eligibility.

The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 66 राजपत्र(हि0)-(158)-2008-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 5 सा0 विधायी-(159)-2008-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।